प्रकरण संख्या 06 / 2020 GCMS ID-2020 / 00016 तारीख रजु–07.02.2020

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

विशााल पुत्र पीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव मासलपुर जिला करौली – अप्रार्थी

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–23.11.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 3 / 628 रकबा 0–05 बीघा ग्राम अनीजरा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 1–00 बीघा ग्राम अनीजरा सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2027 के खाता संख्या 141 श्री प्रीतमसिंह पुत्र श्री हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव के नाम जरिये नियमन नामांतरकरण संख्या 59 से दर्ज कर दिया गया एवं तत्पश्चात् नामांतरकरण संख्या 293 जरिये उत्तराधिकार से विशाल पुत्र पीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव के नाम दर्ज कर दिया गया है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 तक में विशाल पुत्र पीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 3 / 628 रकबा 0–05 बीघा बाके ग्राम अनीजरा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2071–74, 2075–78, नामांतरकरण संख्या 59, 293 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी की गई।

अप्रार्थी ने जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि खसरा नं. 3 / 628 रकबा 5 विस्वा बाबत् रेफरेन्स गलत तौर पर तहसीलदार साहब ने बनाया है जो खारिज होने योग्य है। यह जमीन जैर बहस प्रार्थी की पुश्तैनी है जिस पर गेंहूं, सिरसों आदि की फसल होती है। पहले ईख होती थी। खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी सूरत में रेफरेन्स से चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। मौके पर कोई नाला नहीं है। अंत में रेफरेन्स प्रकरण को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक विला लगानी आराजी खसरा नंबर 3 रकबा 1–00 बीघा गै. मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नामांतरकरण संख्या 59 द्वारा प्रीतमसिंह

पुत्र श्री हजारीसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव के नाम जरिये नियमन दर्ज की गई है। नकल जमाबन्दी सं0 2075 लगायत 2078 के अनुसार खसरा नंबर 3/628 किस्म बारानी 3 रकबा 0–05 बीघा विशाल पुत्र पीतमसिंह जाति राजपूत निवासी ऊँचागांव के नाम अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि का नियमन किया गया है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम अनीजरा की आराजी खसरा नंबर 3/628 रकबा 0–05 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली